

21/02/2022

पत्रावली पेश हुई। पत्रावली दिनांक 28/06/2021 से तलबी में लंबित है। तत्पश्चात् त्रिभुज परिवारवादी की तलबी जारी रखी गई है। उक्त तलबी को जारी रखने के आदेश दिनांक 21/09/2021 की पालना आदेशों तक नहीं हुई है, जो कि न्यायालय आदेशों में अवलोकन की होगी में आता है एवं पूर्व में जारी हुए न्यायिक तलबी अज्ञात है। अतः त्रिभुज परिवारवादी की तलबी अभाव में पत्रावली खारिज होगी। मूल बाप 985 CPC में खारिज होने के कारण अब पत्रावली औचित्यपूर्ण है।

अतः धांपत्र पत्रावली बखत अस्थायी विधेयता औचित्यपूर्ण कर तलबी अभाव में खारिज आदेश-3, नियम-5 जांच के तहत खारिज की जाती है। पत्रावली फॉर्मल सुधार लेकर नंबर से काम लेकर कार्रवाई दफ्तर से। निर्णय सुनने न्यायालय में सुनाया जाकर उसे हस्तांतरण व न्यायालय कृपा से जारी किया जाता है।

सहायक कलक्टर
सांभर लेक

